

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 264 / 10

संस्थित दिनांक-28.05.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. इमजाद उर्फ इमदाद पुत्र इब्राहिम खां उम्र 33 साल
निवासी कल्याणपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 25.09.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.04.10 को 12:30 बजे ग्राम चितौरा से आगे नहर पुल के पास मौ रोड गोहद में मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक एम0पी0 30 एम0सी0 6165 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मार्ग पर आवागमन कर रहे लोगों के जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत विजेन्द्र को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 30.04.10 को दोपहर करीब 12:30 बजे आहत विजेन्द्रसिंह कल्याणपुरा से मेहगांव जा रहे थे और चितौरा मौ रोड पर नहर पुलिया के पास एक मोटरसाईकिल चालक ने उपेक्षा व उतावलेपन से टक्कर मार दी जिससे आहत को दाए हाथ की उंगली में चोट आई। मोटरसाईकिल चालक इमजाद खां पुत्र इब्राहिम खां का नाम लेखकर लिखित रिपोर्ट थाना गोहद में प्रस्तुत की गयी। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात् अप0क्र0 97/10 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.04.10 को 12:30 बजे ग्राम चितौरा से आगे नहर पुल के पास मौ रोड गोहद में मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक एम0पी0 30 एम0सी0 6165 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मार्ग पर आवागमन कर रहे लोगों के जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय पर आहत विजेन्द्र को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?

3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत विजेन्द्र को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5 अभियोजन की ओर से प्रकरण में भूपेन्द्र अ0सा0 1, देवेन्द्रसिंह अ0सा0 2 डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 3, रामकरन अ0सा0 4, अलीम खां अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत ब्रजेन्द्रसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी साक्ष्य नहीं हो सकी, उसे फौत घोषित किया गया। डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 3 यह कथन करते हैं कि दिनांक 30.04.10 को आहत ब्रजेन्द्रसिंह पुत्र शंकरसिंह निवासी कल्याणपुरा को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उन्होंने आहत को दाएं हाथ की छोटी एवं दूसरी उंगली पर फटा हुआ घाव पाया था। आहत को पार्सि गयी चोट परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर पार्सि गयी। एक्सरे परीक्षण करने पर पहले एवं दूसरे पौरे में अस्थिभंग होना पाया था। परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 2 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 3 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। भूपेन्द्र अ0सा0 1 एवं देवेन्द्र अ0सा0 2, बिजेन्द्रसिंह को दुर्घटना में चोटें कारित होने का कथन करते हैं। भूपेन्द्र सिंह अ0सा0 1 घटनास्थल पर पहुंचने पर ब्रजेन्द्रसिंह को सीधे हाथ अर्थात दाएं हाथ की उंगलियां टूट जाने का कथन करते हैं। साक्षी के उक्त कथन को एवं चिकित्सक की साक्ष्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी दशा में आहत ब्रजेन्द्रसिंह दिनांक 30.04.10 को दाएं हाथ में चोट मौजूद होने और अस्थिभंग मौजूद होने का तथ्य प्रमाणित हो जाता है। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या आहत को आई चोट अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर कारित की गयी ?

7. भूपेन्द्र अ0सा0 1 यह कथन करता है कि घटना 5-6 वर्ष पूर्व दिन के 12 बजे की है। उसके भाई विजेन्द्र चाचा मुरली के साथ मोटरसाईकिल से देहगांव जीजा से मिलने जा रहे थे। करीबन 12:30 बजे भाई विजेन्द्र का फोन आया कि नहर की पुलिया चम्हाडी के पास उनका एक्सीडेंट हो गया है तब वह वहां पहुंचा था। साक्षी कथन करता है कि उसके भाई के सीधे हाथ की एक उंगली टूट गयी थी और भाई ने बताया था कि इमजाद खां ने अपनी मोटरसाईकिल को

तेजी एवं लापवाही से चलाकर उसे टक्कर मार दी। इस प्रकार से यह साक्षी घटना के समय उपस्थिति का कथन नहीं करता, बल्कि आहत ब्रजेन्द्र के बताए अनुसार दुर्घटना इमजाद खां द्वारा किए जाने के संबंध में कथन करता है। साक्षी अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आता है जो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और न ही घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल के चालक को उसने देखा है। ऐसी दशा में उक्त अनुश्रुत साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अभिपुष्टि के बिना विश्वास नहीं किया जा सकता है।

8. देवेन्द्रसिंह अ0सा0 2 यह बताते हैं कि वे अपनी दुकान चितौरा बस स्टैण्ड पर थे, उन्हें पता चला कि आहत ब्रजेन्द्र जाट का एक्सीडेंट हो गया है, किन्तु यह कथन करता है कि एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ था और न ही उसने आहत को कोई चोट देखी। साक्षी यह भी बताने में अस्मर्थ है कि कथित एक्सीडेंट किस व्यक्ति द्वारा और कैसे कारित किया गया, यह भी बताता है कि बाद में ब्रजेन्द्रसिंह की कैंसर की बीमारी से मृत्यु हो गयी। इस प्रकार से उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता कि किस वाहन से किस व्यक्ति द्वारा किस प्रकार से दुर्घटना कारित की गई। साक्षी की अभिसाक्ष्य भी अनुश्रुत ढंग की है जो कि घटनास्थल पर बाद में पहुंचना बताते हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारने के संबंध में सुझाव दिया गया तो साक्षी ने इंकार किया तथा पुलिस कथन प्र0पी0 1 में उक्त बात लिखाए जाने से इंकार किया।

9. इस प्रकार से अभियोजन की ओर से अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई सारवान व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अलीम खां अ0सा0 5 ने यह कथन किया है कि उसकी मोटरसाईकिल एम0पी0 30 एम0सी0 6165 को पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पकड़ लिया था और छोड़ते समय कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में प्रमाणीकरण प्र0पी0 5 के दिए जाने से इंकार करता है। साक्षी प्र0पी0 5 के प्रमाणीकरण पर मात्र अपने हस्ताक्षर कराए जाने का कथन करते हैं। प्र0पी0 5 का दस्तावेज साक्षी अलीम खां अ0सा0 5 की हस्तलिपि में नहीं हैं। साथ ही वह घटनास्थल पर उपस्थित रहा हो, ऐसा भी अभियोजन का मामला नहीं है। जब्ती पत्रक के अनुसार वाहन घटना दिनांक के करीब 25 दिन बाद जब्त किया गया है। रामकरन अ0सा0 4 यह बताते हैं कि उन्होंने जब्तशुदा मोटरसाईकिल का मैकेनिकल परीक्षण किया था जिसमें राईट साईड का इण्डीकेटर बंद था बाकी सभी कल पुर्जे ठीक काम कर रहे थे। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में वाहन को कोई क्षति या खरोंच आदि होने के संबंध में कथन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में अभिकथित मोटरसाईकिल एम0पी0 30 एम0सी0 6165 से ही दुर्घटना कारित हुई हो, ऐसा तथ्य अभियोजन की संपूर्ण अभिसाक्ष्य से दर्शित नहीं है।

10. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य भूपेन्द्र अ0सा0 1 एवं देवेन्द्र अ0सा0 2 घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। उक्त दोनों ही साक्षी घटना स्थल पर घटना के समय मौजूद न होने का कथन करते हैं। भूपेन्द्र अ0सा0 1 के द्वारा अभियुक्त के संलिप्तता के संबंध में आहत ब्रजेन्द्र द्वारा बताए जाने का कथन करते हैं किन्तु स्वयं ब्रजेन्द्र की अभिसाक्ष्य नहीं ली जा सकी है। ऐसे में अनुश्रुत साक्षी की अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं हैं। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं लिखित आवेदन पत्र की संपुष्टि नहीं हुई है। अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं हैं जिसके आधार पर अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता एवं दुर्घटना कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित होता हो।

11. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

12. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 30.04.10 को 12:30 बजे ग्राम चितौरा से आगे नहर पुल के पास मौ रोड गोहद में मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक एम0पी0 30 एम0सी0 6165 को

तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मार्ग पर आवागमन कर रहे लोगों के जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत विजेन्द्र को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

14. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

15. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश